ज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री ... श्री ...	

17.6.25

पूसा बनाम जीवराज वगैरह (2025/284)

पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में जो देरी के कारण अंकित किये है जो सदभाविक व संतोषजनक है। **अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र स्थगन, अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद तथा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 07 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर एकपक्षीय सुना जाकर आगामी पेशी तक अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात दिनांक 13.05.2025 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते शीघ्र सुनवाई एवं आदेश 09 नियम 07 सीपीसी पेश किया जिसमें आगामी पेशी सुनवाई हेतु 09.06.2025 को नियत है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन हैं तथा उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालयं द्वारा ही किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर